

रकड स्थिति बनाये रखने हेतु पावद नहीं किया जा सकता है। एसी स्थिति में प्रथम द्वयता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 04.8.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निष्काशा से पावद किया जाता है कि ग्राम इन्द्रानगर तहसील पंचपदरा की खत खरारा सख्या 1937 क्षत्रफल 20.1452 हेक्टर भूमि के संबंध में भोंके की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडीनोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते-विप्रार्थी की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 04.8.2023 को पेश हो

शिवधारा

**सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा**

18.7.2023 पत्रावली द्वारा पेशी का
पी भंडी वकील द्वारा
उपस्थित। चूंकि भूखण्ड का
निलक्षण हो गया है।

लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी
स्थगन आदेश दिनांक 07.7.23
को निरस्त किया जाकर,
आवेदन पत्र को इसी लेख
पर शवाहती किया जाता है।

पत्रावली के अनुसार सुमा
द्वारा दायरे के पत्रों को
शिवधारा

**सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा**

